

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक: 100 (App.)/
II-13-9/2018

बिलासपुर, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2018

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 77 दिनांक 22.08.2018 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों में से कुल 27 अभ्यर्थियों के द्वारा आदेश/ज्ञापन की तामिली होने के बावजूद निर्धारित समयावधि में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, अतः उनके नियुक्ति आदेश को निरस्त करने के उपरांत पूर्व में वर्गवार चयनित उपरान्त 27 अभ्यर्थियों के स्थान पर उसी वर्ग के विरुद्ध तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) के रूप में कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

स.क्र.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	पद जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
1.	श्री ललित किशोर शुक्ला आत्मज श्री प्रहलाद कुमार शुक्ला	MIG-51, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनारक्षित
2.	श्री नीलेश सिंह आत्मज श्री पदुमन सिंह	मु.+पो. रसौटा, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन-495554	अनारक्षित
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान आत्मज श्री अमर सिंह चौहान	सिद्धी विहार, खमतराई, पो.ऑ.-एसईसीएल, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495006	अनारक्षित
4.	श्री गौकरुण कुमार साहू आत्मज श्री संतोष कुमार	ग्राम+पोस्ट - सेन्दरी, थाना-कोनी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495009	अन्य पिछड़ा वर्ग
5.	श्रीमती स्नेहलता यादव पति श्री रामस्वरूप यादव	ओम नगर, वार्ड कं-9, आंगनवाड़ी क्रमांक-1 के सामने गली में, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनारक्षित (महिला)
6.	श्रीमती टिकेश्वरी यादव पति श्री अरुण कुमार यादव	I 2/4, हाईकोर्ट कॉलोनी, राजीव गांधी वार्ड, चकरभाठा कैम्प, बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला)
7.	श्रीमती तेजल ठक्कर पति श्री जितेश ठक्कर	D/o श्री नरेश कुमार सवानी, गुजराती समाज के पास, राम रानी बाड़ा, टिकरापारा, बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला)
8.	श्री शैलेन्द्र कुमार अंगारे आत्मज श्री विजय कुमार अंगारे	ग्राम+पोस्ट - सेलर, तहसील+जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495442	अनुसूचित जाति
9.	कु. रश्मि ठाकुर आत्मजा श्री जय सिंह	द्वारा- श्री श्याम सिंह ठाकुर, कालिका नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनारक्षित (महिला)
10.	कु. अपेक्षा चन्द्रवंशी आत्मजा श्री आर.के. चन्द्रवंशी	27 खोली, विकास नगर, सन्नी जनरल स्टोर के पास, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
11.	श्रीमती चित्ररेखा साहू पति श्री राम कुमार साहू	जगदीश किराना स्टोर के पास, पुराना पावर हाउस, देवरीखुर्द, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495004	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
12.	श्रीमती श्रद्धा विश्वकर्मा पति श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा	ग्राम+पोस्ट- सेमरताल, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495009	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
13.	श्रीमती रामेश्वरी कोरी पति श्री नरेश कोरी	अयोध्या नगर, अमेरी रोड, रिग रोड-2, मकान नं. -5/576, बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जाति (महिला)
14.	कु. तीजन लास्कर आत्मजा श्री राधेश्याम लास्कर	ग्राम+पोस्ट- सेलर, थाना-सीपत, तहसील+जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495442	अनुसूचित जाति (महिला)
15.	श्री लेख राम ध्रुव आत्मज श्री निहाली	ग्राम+पोस्ट- पडियाईन, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन-495335	अनुसूचित जन जाति

स.क्र.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	पद जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
16.	श्री शैलेन्द्र सिंह मरकाम आत्मज श्री संतोष सिंह मरकाम	नीचे पारा, वार्ड क्रमांक-11, पोस्ट-धर्मजयगढ़, तहसील-धर्मजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496116	अनुसूचित जन जाति
17.	श्री अमित कुमार टोप्पो आत्मज श्री जेम्स टोप्पो	द्वारा- श्री मोहनलाल पासी, पुराना हाईकोर्ट के पीछे, शिव मंदिर के पास, टिकरापारा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनुसूचित जन जाति
18.	श्री प्रदीप कुमार प्रधान आत्मज श्री गणेश राम प्रधान	मकान नंबर-8, महावीर नगर, बचपन स्कूल के पीछे, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जन जाति
19.	श्री दुर्गेश कुमार आत्मज श्री गोविन्द राम	ग्राम-फरहदा, पो.ऑ.-गतौरा, थाना-सीपत, जिला व तहसील-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495550	अनुसूचित जन जाति
20.	श्री गौतम प्रसाद ध्रुव आत्मज श्री सीता राम ध्रुव	ग्राम-सारधा, पोस्ट-सेवार, तहसील-बिल्हा, थाना-चकरभाठा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495224	अनुसूचित जन जाति
21.	कु. अंजु कुमारी कंवर आत्मजा श्री निरंजन सिंह कंवर	ग्राम-गंगानगर, पोस्ट-गेवरा बस्ती, वार्ड क्रमांक-54, कोरबा (छ.ग.) पिन-495454	अनुसूचित जन जाति (महिला)
22.	कु. लता कुमारी आत्मजा श्री नकुल प्रसाद ध्रुव	ग्राम+पोस्ट-फरहदा, थाना-जरहागांव, तह. +जिला- मुंगेली (छ.ग.) पिन-495330	अनुसूचित जन जाति (महिला)
23.	श्रीमती मुस्कान ध्रुव पति श्री कोमल सिंह ध्रुव	वार्ड नं.-55, उर्मिला मार्को गली, बंधवापारा, अरविन्द नगर, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनुसूचित जन जाति (महिला)
24.	श्रीमती नीलिमा सिदार पति श्री अजम्बर सिदार	द्वारा श्री परमेश्वर प्रसाद सिदार, कुदुदण्ड, माता चौरा के पास, गली नंबर-2, बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जन जाति (महिला)
25.	कु. रुक्मणी पैकरा आत्मजा श्री उमेन्द सिंह पैकरा	ग्राम-कुरुवार, पोस्ट-टेंगनमाड़ा, तह.-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495116	अनुसूचित जन जाति (महिला)
26.	कु. नीमा एक्का आत्मजा श्री डेनियल एक्का	द्वारा हीरामुनी केरकेट्टा, मंझवापारा, महिलांगे गली, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001.	अनुसूचित जन जाति (महिला)
27.	श्री पुरुषोत्तम ध्रुव आत्मज श्री उदेराम	ग्राम-नवागांव (कौड़िया), पो.ऑ.- कौड़िया, तह. -मस्तूरी, सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जन जाति (दिव्यांग)

- यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी तथा वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के First Schedule, Class-IV के कण्डिका 11. में दर्शाये अनुसार सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं इस नियुक्ति के आधार पर अभ्यर्थी के पक्ष में छ.ग. उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियमित नियुक्ति/नियोजन का कोई अधिकार उद्भूत नहीं होगा एवं उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
- यदि उनके द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।
- वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में उनकी नियुक्ति प्रारंभ से अकृत समझी जावेगी।
- वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।

8. वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनको कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा और यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
9. उनकी वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) के सबसे अंतिम स्थान पर होगा तथा उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के नियम 12 (2) के तहत उपरोक्तानुसार निर्धारित होगी।
10. आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) है एवं उनके द्वारा नियुक्ति दिनांक से 02 माह के अन्दर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है अतः उन्हें उनकी नियुक्ति दिनांक से 02 माह के भीतर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति प्रारंभ से ही अकृत समझी जावेगी।
11. "आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)
12. यह नियुक्ति पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है एवं चयनित अभ्यर्थी इस नियुक्ति पत्र के डाउनलोड प्रति के आधार पर भी उपरोक्त शर्तों के अध्यक्षीन कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


सही/-
(नीलम चंद सांखला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां. क्रमांक 12041 /
II-13-9/2018

बिलासपुर, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
 2. रजिस्ट्रार (सतर्कता/आई.एण्ड ई.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 4. एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई. एण्ड ई./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त आदेश को उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एन.आई.सी. शाखा को निर्देशित करने का कष्ट करें,
 6. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 7. डिप्टी रजिस्ट्रार (लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 8. डिप्टी रजिस्ट्रार (जावक शाखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश की प्रति संबंधितों की ओर रजिस्टर्ड डाक (ए.डी. सहित) प्रेषित करें, साथ ही तामिली पश्चात् तत्काल तामिली प्रतिवेदन स्थापना शाखा की ओर प्रेषित करें,
 9. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 10. कोर्ट ऑफिसर/अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
- की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।**
11. सर्वसंबंधितों (सारिणी अनुसार सरल क्रमांक 01 से 19 तक), की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ,


17-12-2018

(नीलम चंद सांखला)
रजिस्ट्रार जनरल